इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2022—भाद्र 17, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र एफ 3/3/4/0001/2022/VIII: मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अंतर्गत जारी "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किए जाने वाले नए गैर परिवहन यानो पर 25% तथा परिवहन यानो पर 15% की मोटरयान कर में छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबंधो के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् :—

1. जिस व्यक्ति के नाम से "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" धारित होगा, उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन क्रय किए जाने पर मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।
2. वाहन स्वामी द्वारा नया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने हेतु, "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा, इस प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की होगी।

3. "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। प्रत्येक नए मालिक को "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" का हस्तांतरण फॉर्म 2डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" का एक बार उपयोग हो जाने पर, उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर द्वारा उसे वाहन डेटाबेस में "रद्द" के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त प्रमाणपत्र के धारक को लाभ प्रदान किया गया है।
4. जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने का मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।
5. जीवनकाल कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर परिवहन यानो पर 25% तथा परिवहन यानो पर 15% मोटरयान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी।
6. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर परिवहन यानो पर देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर पर 15 वर्ष तक 25% तथा परिवहन यानो पर देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर पर 8 वर्ष तक 15%, मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।

**F** 3/3/4/0001/2022/VIII In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby provides 25% exemption of motor vehicles tax on new non-transport vehicles, 15% exemption of motor vehicles tax on new transport vehicles which are to be registered on production of a "Certificate of Deposit" issued under the Motor Vehicles (Registration and Working of Vehicles Scraping Facility) Rules 2021. This exemption shall be provided subject to the following conditions and restrictions, namely :-

## CONDITIONS AND RESTRICTIONS

1. Exemption in motor vehicle tax shall be provided only in case new vehicle is purchased in the name of the person who holds "Certificate of Deposit" in his name.

2. The Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle. The validity of this certificate shall be 2 years from the date of issuance.

3. The Certificate of Deposit shall be electronically tradeable. The transfer of certificate of Deposit shall be generated on the trading platform for each new owner as per Form 2D. The Certificate of Deposit once utilized shall be marked "cancelled" in the Vahan database by the regional transport office or dealer providing the benefits to the bearer of the said certificate.

4. Exemption in motor vehicle tax shall be provided only, if the purchased new vehicle is of the same the class as of the vehicle which has been scrapped.

5. In case of deposit of lifetime tax, on-time exemption of 25% motor vehicle tax on non-transport vehicles and 15% motor vehicle tax on transport vehicles, shall be provided.

6. Vehicles on which tax is imposed on monthly/quarterly/annual basis, then in case of non-transport vehicles tax exemption of 25% shall be provided on monthly/quarterly/annual, tax upto 15 years and in case of transport vehicles tax exemption of 15% shall be provided on monthly/quarterly/annual, tax upto 8 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्वेता पवार**, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.